

प्रेस नोट थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 23.06.2022

गोवध एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत फरार चले रहे अभियुक्त को अवैध असलहा एवं कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक उत्तरी, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व तथा प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के मार्गदर्शन में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.06.2022 को चौकी प्रभारी सोनबरसा बाजार उ0नि0 मदन मोहन मिश्र मय हमराहीगण के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीर की सूचना पर वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र घुरहू उर्फ नन्हे निवासी जंगल बिहूली बेलहवा बंजारा टोला थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 340/21 धारा 307 IPC, 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं अभियुक्त के पास से अवैध असलहा की बरामदगी के संबंध में जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम का बोध कराते हुए समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया एवं जामातलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तंमचा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

कलीम पुत्र घुरहू उर्फ नन्हे निवासी जंगल बिहूली बेलहवा बंजारा टोला थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक अदद तंमचा
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 340/21 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 219/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 35/2007 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना धर्मसिंहवा जिला सिद्धार्थनगर।
4. मु0अ0सं0 788/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 508/2018 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम -

- चौकी प्रभारी उ0नि0 मदन मोहन मिश्र थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
- उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर।

- का0 प्रदीप कुमार थाना चौरी चौरा गोरखपुर ।
- का0 बलवन्त कुमार सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर ।